सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand

बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand

विषय – सूची

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1-2
1.2	परिभाषाएं	2-4
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
	अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड, का स्थान और अवस्थिति**	
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	7-8
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	8
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8-9
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**	
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	12
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई	12
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	12
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	12
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	12
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
अध्याय VI संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संरक्षित संस्मारक की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14-15
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	15
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	15
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	15
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	16
6.12	स्थानीय प्राधिकरण यथा उपलब्ध विकास योजना	16
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	16
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	16
	6.13.2 पुनर्निर्माण	16-17
	6.13.3 नया निर्माण	17-19
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	19
अध्याय VII स्थल विशिष्ट संस्तुतियां		
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	20
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	20

CONTENTS

CHAPTER I PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	21
1.2	Definitions	22-23
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of The Act	24
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-Laws	24
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	24
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument - Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttrakhand		
3.1	Location and Setting of the Monument	25-26
3.2	Protected boundary of the Monument	26
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	26
3.3	History of the Monument	26
3.4	Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.)	27
3.5	Current Status	27
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	27
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	27
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	28
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	28
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Survey Plan	29
5.2	Analysis of surveyed data	29
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	29
	5.2.2 Description of built up area	29
	5.2.3 Description of green/open spaces	29-30
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	30
	5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise)	30
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	30

	5.2.7 Public Amenities	30
	5.2.8 Access to Monument	30
	5.2.9 Infrastructure services	30
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	30
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	31
6.2	Sensitivity of the Protected Monument	31
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	31-32
6.4	Land-use to be identified	32
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	32
6.6	Cultural landscapes	32
6.7	Significant natural landscapes	32
6.8	Usage of open space and constructions	32
6.9	Traditional, historical and cultural activities	32
6.10	Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas	32
6.11	Traditional architecture	33
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	33
6.13	Building related parameters	33
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	33
	6.13.2 Reconstruction	33-34
	6.13.3 New Construction	34-36
6.14	Visitor facilities and amenities	36
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	37
7.2	Other Recommendations	37

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र को दर्शाने वाली सर्वेक्षण योजना Survey plan showing Protected, Prohibited and Regulated Area of Group of Baleswar Temples and Naula or covered spring attached to the Baleswar temples, Champawat, District – Almora, Uttarakhand	38
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	39-41
अनुलग्नक–III Annexure–III	संरक्षित संस्मारक की मौजूदा संरक्षित सीमा को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र Archival map showing existing Protected Boundary of the Protected Monument	42
अनुलग्नक–IV Annexure–IV	संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र Images of The Protected Monument and its surroundings	43-49

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड"**, के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 14.12.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक **"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii)इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv)ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii)किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv)किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड, का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारक पिथौरागढ़, उत्तराखंड से 76 किलोमीटर दूर चंपावत शहर में स्थित है।

इसके स्थान के भौगोलिक निर्देशांक हैं: **अक्षांश 29°20'11.7"N** और **देशांतर 80°05'25.4"E**.

भगवान शिव को समर्पित बालेश्वर मंदिर में पत्थर की अद्वितीय नक्काशी की गयी है। संरक्षित संस्मारक घने जंगलों और विविध भूगोल से घिरा हुआ है, जिसमें तराई, शिवालिक और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं।

निकटतम बस स्टैंड 500 मीटर पूर्व में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा, पंतनगर है, जो दक्षिण-पश्चिम में 170 किलोमीटर दूर है। रेल द्वारा काठगोदाम स्टेशन, जो पश्चिम में 173 किलोमीटर दूर है, तथा टनकपुर स्टेशन, जो दक्षिण में 75 किलोमीटर दूर है, से पहुंचा जा सकता है।

इन धरोहर उप-विधियों को "कोतवाली चबूतरा, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, देहरादून" की धरोहर उप-विधियों साथ पढ़ा जाना चाहिए।

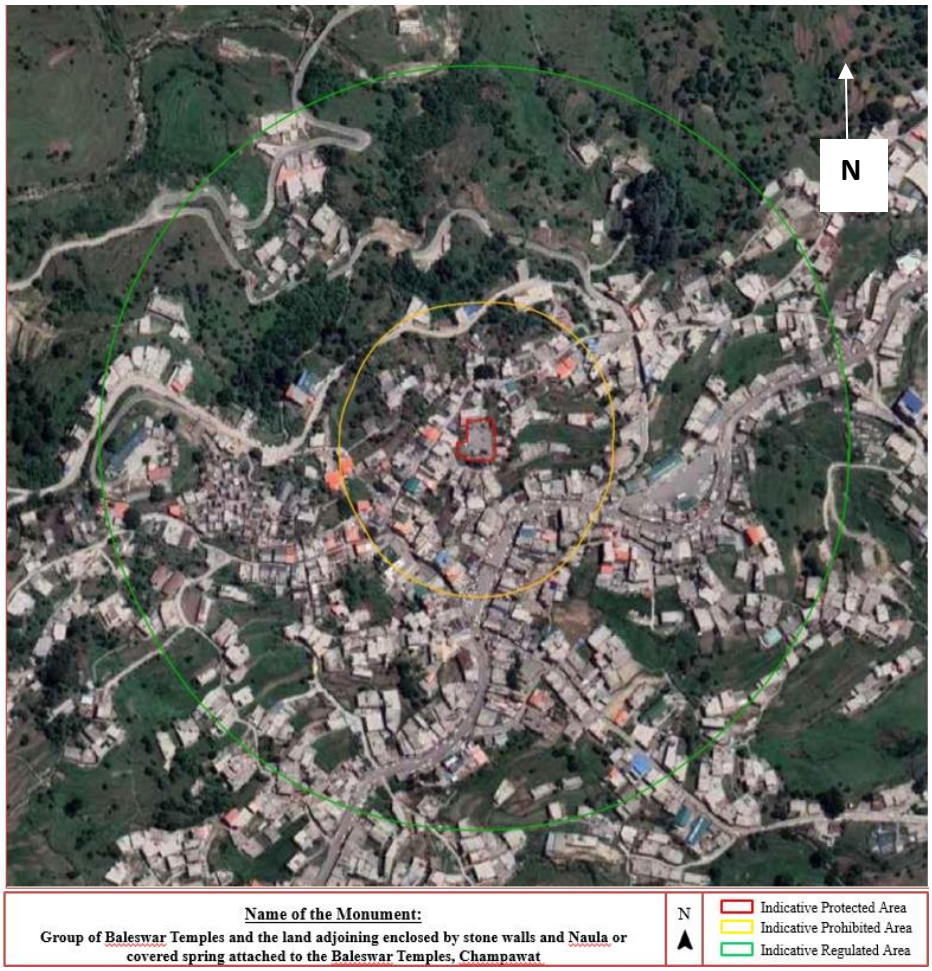

चित्र 1: बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड का स्थान और अवस्थिति दर्शाने वाला उपग्रह चित्र

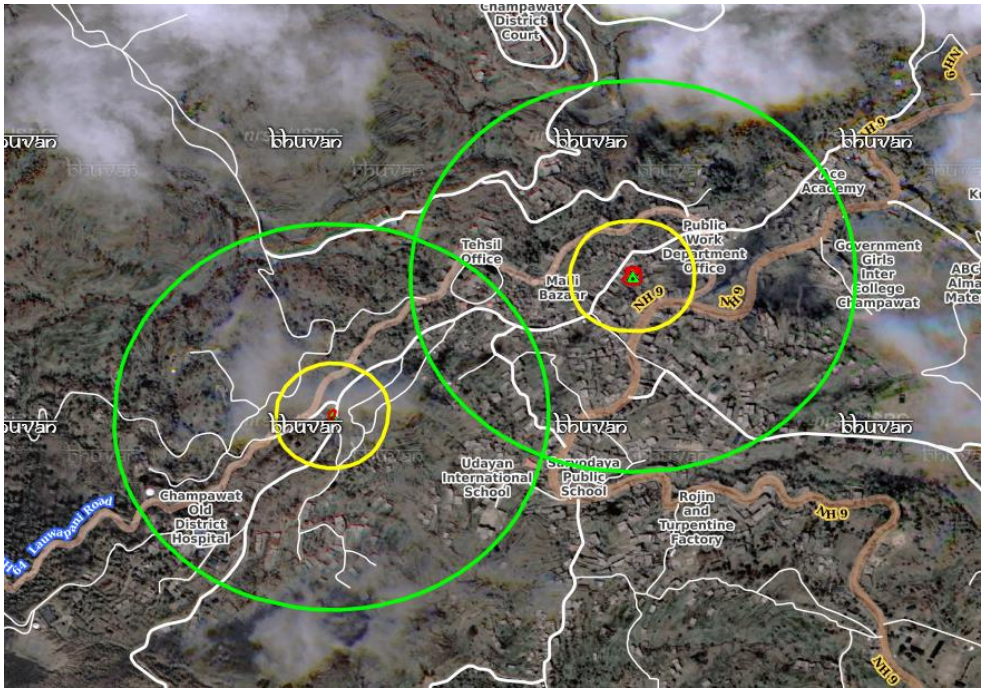

चित्र 2: एक समूह मानचित्र जिसमें दो (i) बालेश्वर मंदिर का संरक्षित संस्मारक समूह और (iii) कोतवाली चबूतरा-(स्रोत-भुवन पोर्टल) दिखाया गया है

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक **"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड"** की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकता है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड" की अधिसूचना **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकता है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

मंदिरों के इस समूह का निर्माण 14वीं शताब्दी ई. में चंद वंश के शासकों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक अभिलेखों में बालेश्वर मंदिर में कई जीर्णोद्धार प्रयासों का उल्लेख किया गया है। उद्यान चंद ने 1420 ई. में अपने पिता हरिहर चंद की जगह ली और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपना शासनकाल समर्पित कर दिया। विक्रम चंद ने 1423 ई. में अपने पिता हरिहर की जगह ली और उद्यान चंद द्वारा शुरू किए गए जीर्णोद्धार कार्य को जारी रखा। राजा रुद्र चंद (1565-1597 ई.) के शुरुआती कार्यों में से एक कार्य बालेश्वर में महादेव की पूजा को फिर से शुरू करना था।

चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जुड़ा नौला या ढका हुआ झरना इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है। मंदिर परिसर के दक्षिण में स्थित यह आयताकार संरचना ज़मीन से नीचे बनी है, जहाँ ज़मीन से निकलने वाला पानी इकट्ठा[1] होता है।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

मंदिरों में लैटिना और शिकारा दोनों शैलियाँ शामिल हैं। इनका महत्व दो मुख्य मंदिरों में निहित है, जिनमें से प्रत्येक में एक *मंडप* से पहले दोहरे *मूल-प्रसाद* (गर्भगृह) हैं, जो सभी अक्षीय दिशा में संरेखित हैं।

बालेश्वर मंदिर समूह में दो दोहरे मंदिर शामिल हैं: बालेश्वर सुग्रीवेश्वर मंदिर (मारू-गुर्जर शैली) और चंपावती-रत्नेश्वर मंदिर (उत्तर भारतीय रेखा प्रसाद), साथ ही परिसर के भीतर भैरव मंदिर भी है। हालांकि यह स्वतंत्र है परंतु मंदिर पूर्व से पश्चिम तक रैखिक रूप से व्यवस्थित एक ही संरचना का हिस्सा है।

मध्यम ऊंचाई वाले यह मंदिर और इसके समीप मुख्य गर्भगृह *(गर्भगृह)* के ऊपर पिरामिड टावरों से सजे *मंडपों* में बाहरी और भीतरी दोनों हिस्सों पर बारीक नक्काशीदार मूर्तियां, फ्रिज़ आर्ट कला और आकर्षक रूपांकन हैं। फटपाथ वाले *मंडप* इस स्थल के वास्तुशिल्प आकर्षण को और बढ़ाते हैं।

नौला, संरक्षित संस्मारक के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है। भूतल से नीचे स्थित, पूर्व-मुखी बालेश्वर नहर की आधारशिला योजना में जलाशय की ओर जाने वाली आरोही सीढ़ियों की एक श्रृंखला शामिल है। जल तालाब[2] के सामने एक आयताकार, दो-स्तंभ वाला अग्र मंडप (*अर्धमंडप*) खड़ा है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति का आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV में संलग्न हैं**।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक पर प्रतिदिन 10-20 लोग आते हैं, स्थानीय त्योहारों के दौरान यह संख्या बढ़कर 150-200 हो जाती है। शिवरात्रि के पर्व पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इनमें से ज़्यादातर स्थानीय लोग होते हैं और कुछ विदेशी पर्यटक[3] भी होते हैं।

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (देहरादून सर्किल)
[2] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (देहरादून सर्किल)
[3] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (देहरादून सर्किल)

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभी तक कोई ज़ोनिंग विनियम या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि-उपयोग योजना, मास्टर प्लान, ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए भूमि-उपयोग योजना, मास्टर प्लान, ज़ोनिंग विनियम आदि तैयार करते समय इन धरोहर उप-विधियों में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है।

उत्तराखंड के लिए आवश्यक सभी अन्य विकास नियंत्रण मानदंड, भवन विनियम और ऑन-साइट निर्माण पैरामीटरों के साथ-साथ भूकंप, आग आदि के लिए संरचनात्मक सुरक्षा प्रावधान, आवास विभाग उत्तराखंड द्वारा तैयार किए गए **"भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, उत्तराखंड 2011"** के संदर्भ में होने चाहिए, यह जब भी संशोधित किए जाएंगे, लागू होंगे। हालांकि, इन धरोहर उप-विधियों के अध्याय 6, खंड 6.13 में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेखों (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

"बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड" की सर्वेक्षण योजना को **अनुलग्नक-I** में देखा जा सकता है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

संरक्षित क्षेत्र लगभग 890 वर्ग मीटर है।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 44,394 वर्ग मीटर है।

विनियमित क्षेत्र लगभग 3,19,539 वर्ग मीटर है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय इमारतें उत्तर, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं। विनियमित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत इमारतें उत्तर-पूर्व में स्थित हैं और आवासीय क्षेत्र उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं।

पूर्व: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय भवन हैं। विनियमित क्षेत्र में डाकघर, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (उत्तराखंड परिवहन निगम), आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भवन हैं।

दक्षिण: दक्षिण दिशा में घनी आवासीय और व्यावसायिक इमारतें स्थित हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में आवासीय, व्यावसायिक इमारतें और होटल मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में आवासीय इमारतें मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में उत्तराखंड पर्यटन केंद्र, कुमाऊं मंडल विकास निगम रेस्ट हाउस आदि सहित आवासीय और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं जो दक्षिण-पश्चिम दिशा में मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य व्यावसायिक इमारतें दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में आवास, राजबुंगा किला (वर्तमान में तहसील कार्यालय, चंपावत के रूप में उपयोग किया जाता है) और नागनाथ मंदिर मौजूद हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कुछ ही हरे-भरे स्थान हैं। विनियमित क्षेत्र में घने हरे-भरे क्षेत्र मौजूद हैं।

पूर्व: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में खेती के लिए भूमि और हरित क्षेत्र मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में इमारतों के साथ-साथ कुछ खुली जगहें और खेती के लिए भूमि मौजूद है।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में बहुत कम हरे-भरे स्थान मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में खुली जगहें मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में, काफी ज़मीन घनी हरियाली से ढकी हुई है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक तक राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो दक्षिण-पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सड़कें (NH-9) से जुड़ती हैं। आवासीय और स्थानीय बाजारों में पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए अंदर के खड़े/कठिन रास्तों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्रवार):

उत्तर: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से लेकर जी+3 संरचनाओं तक है।

पूर्व: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से लेकर जी+2 संरचनाओं तक है।

दक्षिण: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से जी+3 संरचनाओं तक है।

पश्चिम: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से लेकर जी+4 संरचनाओं तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

राजबुंगा किला (वर्तमान में तहसील कार्यालय, चम्पावत) और पारंपरिक वास्तुकला वाले नागनाथ मंदिर सहित ऐतिहासिक इमारतें विनियमित क्षेत्र के पश्चिम में मौजूद हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

सार्वजनिक सुविधाओं के अतंर्गत संकेतक, शौचालय और पेयजल की सुविधा शामिल है।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक NH-9 से एक संकरी पक्की सड़क के ज़रिए पहुँचा जा सकता है जो ऊपर की ओर ढलान की ओर जाती है। आस-पास की सड़क का नेटवर्क विविधतापूर्ण है, जिसमें पश्चिम से दक्षिण की ओर फैले मार्ग और पूर्व की ओर घुमावदार मार्ग शामिल हैं। यह नेटवर्क ललुवापानी रोड से जुड़ा हुआ है, जो आगे दक्षिण में NH-9 से जुड़ता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

अवसंरचनात्मक सेवाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन और साइनबोर्ड उपलब्ध हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना तैयार नहीं की गई है और न ही उसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए, वर्तमान में कोई ज़ोनिंग प्रस्तावित नहीं है।

अध्याय VI

संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुकला महत्व:

14वीं शताब्दी में चंद शासकों द्वारा निर्मित बालेश्वर मंदिर में लैटिना और शिकारा दोनों शैलियों का प्रदर्शन किया गया है। इसकी वास्तुकला की विशेषज्ञता दोहरे मूल-प्रसाद और मंडपों से परिलक्षित होती होती है, जिसमें मारू-गुर्जर और उत्तर भारतीय रेखा प्रसाद तत्व शामिल हैं। जटिल नक्काशी, फ्रिज़ कला और आकर्षक रूपांकन, बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सों को सुशोभित करते हैं, जो उस अवधि की कलात्मक बारीकियों को दर्शाते हैं। नौला, एक महत्वपूर्ण जल स्रोत, प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण है, जो मंदिर के वास्तुशिल्प आकर्षण को और बढ़ाता है।

ऐतिहासिक महत्व:

उद्यान चन्द, विक्रम चंद और राजा रुद्र चंद शासकों द्वारा किए गए व्यापक जीर्णोद्धार प्रयासों ने बालेश्वर मंदिर के स्थायी सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया है। उद्यान चन्द ने 1420 ई. में जीर्णोद्धार शुरू किया, विक्रम चंद ने 1423 ई. में इसे जारी रखा और राजा रुद्र चंद ने 16वीं शताब्दी के अंत में बालेश्वर में महादेव की पूजा फिर से शुरू की। ये प्रयास पूरे इतिहास में एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में मंदिर के महत्व पर जोर देते हैं।

पुरातात्विक महत्व:

बालेश्वर मंदिर परिसर का लेआउट, इसकी मध्यम ऊँचाई और गर्भगृह के ऊपर पिरामिड टावरों के साथ, इसके पुरातात्विक महत्व को रेखांकित करता है। परिसर के भीतर भैरव मंदिर और नौला की मौजूदगी इस स्थल के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को और बढ़ाती है। ज़मीनी स्तर से नीचे स्थित, नौला ज़मीन से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करता है, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों को उजागर करता है। ये तत्व, सामूहिक रूप से बालेश्वर मंदिर को इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी से जोड़ते है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक, घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण कई संवेदनशील मुद्दों का सामना करता है। आवासीय बस्तियों का विस्तार, इस संरक्षित संस्मारक की निर्दिष्ट सीमाओं पर अतिक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक विकास की मांग प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर स्थानीय वास्तुकला को खतरे में डालती है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक से दृश्यता:

हालाँकि यह संस्मारक ऊँचाई पर स्थित है, लेकिन संरक्षित संस्मारक से दृश्यता उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय विकास तक ही सीमित है। पूर्व में, केयरटेकर के रहने के लिए एक क्वार्टर, एक स्थानीय मंदिर और एक गौशाला दिखाई देती है।

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से संस्मारक की दृश्यता:

वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के कारण विनियमित क्षेत्र से संरक्षित संस्मारक की दृश्यता सीमित है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की अधिकांश भूमि का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक, संस्थागत और धार्मिक संरचनाएँ जैसे स्कूल, बैंक, स्थानीय शासी निकायों के कार्यालय और मंदिर मौजूद हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक विरासत अवशेष:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अभी तक कोई पुरातात्विक विरासत अवशेष नहीं पाए गए हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित संस्मारक जो अपने आप में चम्पावत से भी पुराना है, यह ऐसे सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है जहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक और वास्तुशिल्प तत्व शहर के पारंपरिक और प्राकृतिक परिवेश के साथ सहज रूप से मिले हुए हैं। यह एकीकरण चंपावत के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करता है, जो मानव गतिविधि और पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

उत्तर की ओर की कृषि भूमि एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करती है, जो संरक्षित संस्मारक से उसकी दृश्यता को बढ़ाती है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में भूभाग और घनी वनस्पतियां प्राकृतिक सौदंर्य को बढ़ाती हैं और सूक्ष्म जलवायु, वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करती हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में खुले स्थानों का उपयोग हरित क्षेत्र और कृषि के रूप में किया जाता है। इन क्षेत्रों में निर्माण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित संस्मारक, चंपावत और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है जो महाशिवरात्रि और अन्य त्यौहारों के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय इमारतें, कुछ मंदिर और हरे-भरे खुले स्थान शामिल हैं। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विनियमित क्षेत्र पहाड़ों और निर्मित संरचनाओं के दृश्यों सहित एक समान क्षितिज साझा करते हैं, जबकि उत्तरी भाग में घनी हरियाली है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

पारंपरिक कोटि बनाल वास्तुकला के निशान पुराने घरों और दुकानों में देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में प्रचलित यह प्रारंभिक स्थापत्य शैली, देशी सामग्रियों की गहन समझ को प्रदर्शित करती है।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

किसी भी मौजूदा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई विकास योजना न तो तैयार की गई है अथवा न ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

संरक्षित संस्मारक नामत: प्रस्तर चारदीवारी से घिरा बालेश्वर मंदिर समूह एवं समीपवर्ती नौला चंपावत, एक अन्य संरक्षित संस्मारक नामत: कोतवाली चबूतरा, चंपावत के निकट स्थित है। इसलिए, प्रस्तर चारदीवारी से घिरा बालेश्वर मंदिर समूह एवं समीपवर्ती नौला चंपावत का विनियमित क्षेत्र, ऊपर उल्लिखित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के साथ है। इसलिए इस संरक्षित संस्मारक के उपनियमों को एक दूसरे के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। निर्माण स्थल के दो अलग-अलग संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में आने की स्थिति में, प्रस्तावित निर्माण के कारण संस्मारक पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्राथमिकता दी जाएगी जो निर्माण स्थल के करीब है।

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और

एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित स्थल के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास की धरोहर विशेषता के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए ये धरोहर उप-विधि लागू होंगी। ''भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि, उत्तराखंड 2011'' में विनिर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम जब भी संशोधित होंगे, लागू होंगे। हालांकि, इस धरोहर उप-विधि में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के मौजूदा भूमि उपयोग पर निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले निर्माण की अनुमति होगी। बागों और कृषि भूमि पर इन अनुमेय निर्माणों के अतंर्गत आवास के लिए संरचनाओं का निर्माण और खेती में लगे लोगों के लिए सहायक भवन या फसलों, चारा, खाद, कृषि उपकरणों और अन्य समान सुविधाओं के भंडारण के लिए संरचनाएं शामिल हैं।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

   नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **12.00 मीटर** से अधिक नहीं होगी। (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत कोई अन्य सेवाएँ।

   जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान भूमि उपयोग को बरकरार रखा जा सकता है।

3. **अग्रभाग डिजाइन:**

   (i) नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए ताकि यह संरक्षित संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विरासत विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

   (ii) विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों में दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को प्रतिबंधित किया जाएगा।

   (iii) सभी ऐतिहासिक इमारतों, दुकानों, घरों के अग्रभागों को मूल डिजाइन (ब्रैकेट, छज्जा, मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां आदि की श्रृंखला) के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

   (iv) नलसाज़ी और विद्युत सेवाएँ व्यवस्थित की जाएंगी, न कि भवन के बाहरी भाग में।

4. **छत का डिज़ाइन:**

   (i) पारंपरिक ढलान वाली छत के डिजाइन को लकड़ी के फ्रेम और स्लेट टाइलों के साथ अपनाया जा सकता है।

   (ii) भवन की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

   (iii) सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी का भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्वों) का उपयोग करके ढ़का जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. **निर्माण सामग्री:**

संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है। आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे कि एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग बाहरी फिनिश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लकड़ी और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. **रंग:**

बाहरी रंग, संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, भूरा (बेज) तथा अन्य मिट्टी के रंग जो संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. **अन्य विनियम:**

फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

संरक्षित संस्मारक के आसपास आगंतुकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं पर व्यवहार्यता के अनुसार विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. संरक्षित संस्मारक के निकट, विशेषकर संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी पर होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक के आस-पास आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

iv. वर्षा जल संचयन आदि जैसी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व की सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **- "Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District-Almora, Uttarakhand"**, prepared by the Competent Authority, in consultation with the Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, were published on 14.12.2023 as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, as 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District-Almora, Uttarakhand"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, extent and commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2025 of Protected Monument **- "Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District Almora, Uttarakhand"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

  (i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

  (ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in- office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-Laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Protected Monument - Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Protected Monument is situated in the city of Champawat, 76 kilometres from Pithoragarh, Uttarakhand.

The geographical coordinates of its location are: **Latitude 29°20'11.7"N** and **Longitude 80°05'25.4"E**.

The Baleswar temple, dedicated to Lord Shiva, features unique stone carvings. The Protected Monument is surrounded by dense forests and diverse geography, including Terai, Shivalik, and high mountain ranges.

The nearest bus stand is located 500 metres to the East. The nearest airport is Pantnagar Airport, Pantnagar, 170 kilometres to the South-West. Rail access is available from Kathgodam station, 173 kilometres to the West, and Tanakpur station, 75 kilometres to the South.

These Heritage Bye-Laws should be read in conjunction with the Heritage Bye-Laws of "Kotwali Chabutra, Champawat, District-Almora, Dehradun".

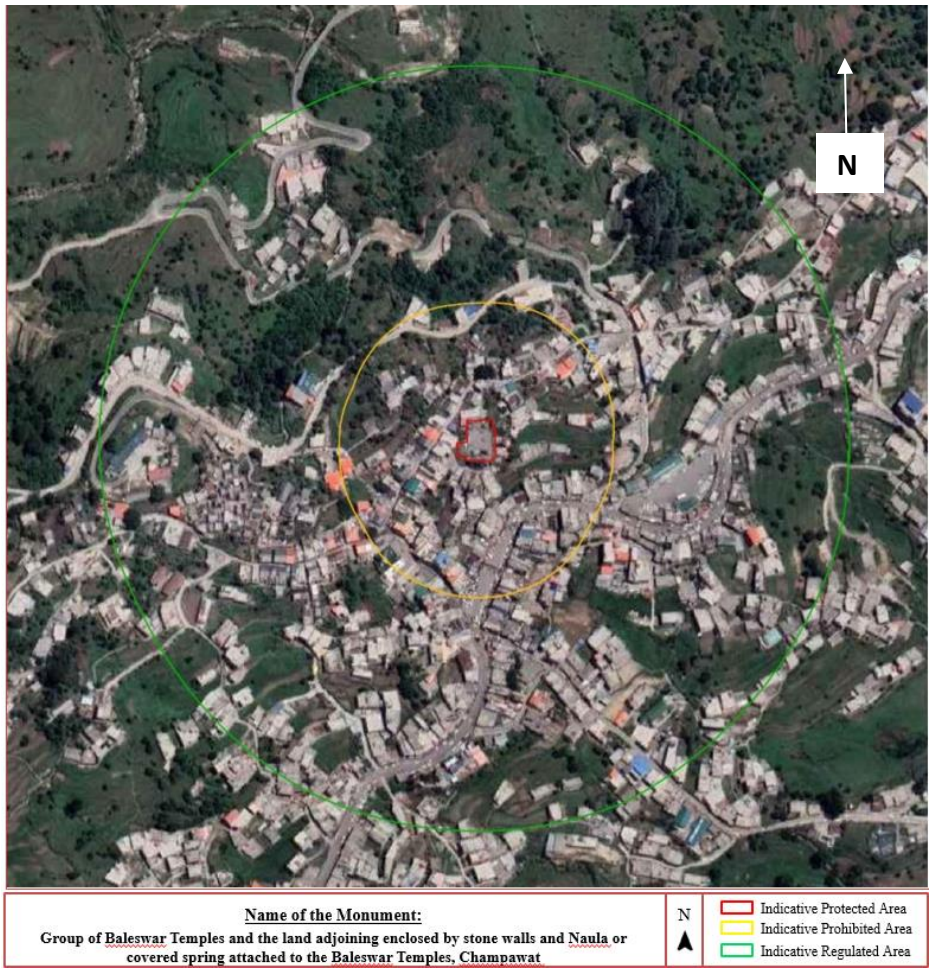

Figure:1 Satellite imagery showing location and setting of the Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand

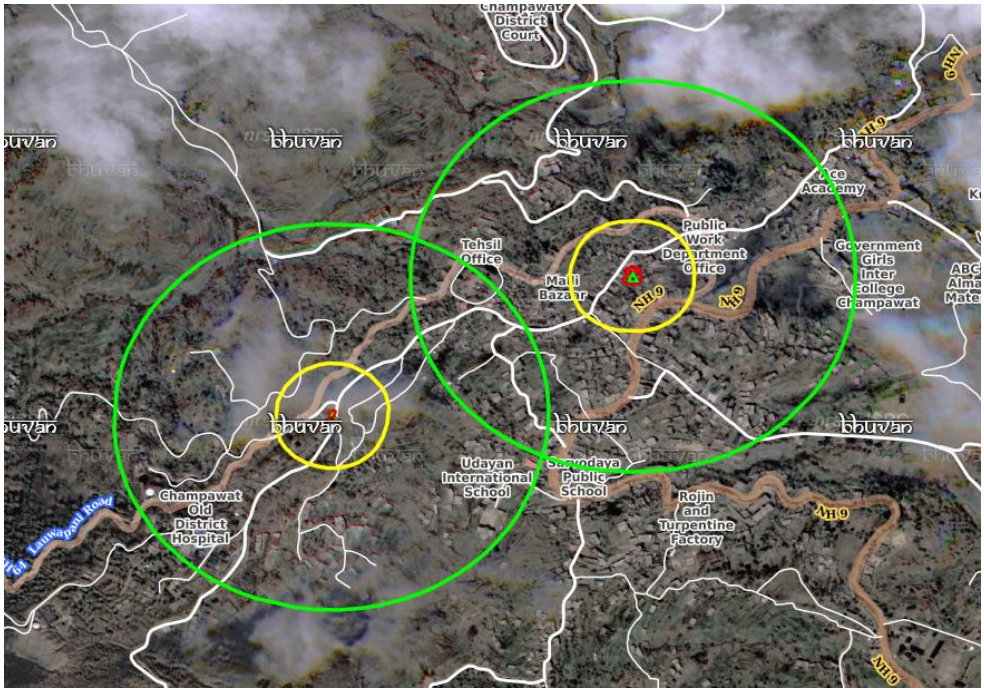

Figure 2: A cluster map showing the two- (i) Protected Monument Group of Baleshwar Temple and (ii) Kotwali Chabutra – Source - Bhuvan Portal

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Protected Monument – **"Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat District - Almora, Uttarakhand"** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of the **"Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand"** may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The group of temples was built during the 14th century C.E. by the rulers of Chand dynasty. Historical records document numerous restoration efforts at Baleswar Temple. Udyan Chand succeeded his father, Harihar Chand, in 1420 C.E. and dedicated his reign to restoring the temple. Vikrama Chand succeeded his father, Harihar, in 1423 C.E. and continued the restoration work initiated by Udyan Chand. One of the earliest acts of Raja Rudra Chand (1565-1597 C.E.) was to re-establish the worship of Mahadeo at Baleswar.

Naula, or the covered spring attached to the Baleswar temple in Champawat, is one of the important water sources in this region. Attached to the South of the temple premises, this rectangular structure is built below ground level, where water emerging from the ground is collected.[1]

[1] Archaeological Survey of India (Dehradun Circle)

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The temples include both Latina and Shikara styles. Their significance lies in the two main temples, each comprising double *mula-prasadas* (sanctum sanctorum) preceded by a *mandapa,* all aligned in an axial direction.

The Baleswar temple group includes two dual temples: Baleswar Sugriveshwar Temple (Maru-Gurjara style) and Champavati-Ratneshwar Temple (North Indian Rekha Prasad), along with the Bhairav Temple within the compound. Though independent, the temples are part of a single structure arranged linearly from East to West.

The temples, with their moderate heights and adjoining *mandapas* crowned by pyramid towers over the main sanctum sanctorum (*Garbhagriha*), feature finely carved sculptures, frieze arts, and charming motifs on both the outer and inner parts. The *mandapas* with pediments further enhance the site's architectural allure.

The Naula is located to the left of the entrance to the Protected Monument. Positioned below ground level, the bedrock plan of the East-facing Baleswar canal consists of a series of ascending steps leading to a water reservoir with a base. A rectangular, two-pillared front pavilion (*ardhamandapa*) stands before the water pond.[2]

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The Photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended in **Annexure–IV**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The daily footfall at the Protected Monument is 10-20 persons, with a slight surge during local festivals to 150-200 persons. The festival of Maha Shivratri attracts a significant number of visitors. Visitors are mostly locals, with a few international tourists.[3]

[2] Archaeological Survey of India (Dehradun Circle)

[3] Archaeological Survey of India (Dehradun Circle)

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

No zoning regulations or master plan have been prepared as yet by the Local Authorities.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

No Land-Use Plan, Master Plan, Zoning Regulations have been prepared by the Local Authorities, therefore, when formulating Land-Use Plans, Master Plans, Zoning Regulations, etc., it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in these Heritage Bye-Laws.

All other development control norms, building regulations, and on-site construction parameters required for Uttarakhand settings, as well as structural safety provisions for earthquakes, fire, etc., should refer to the **"Bhavan Nirman Evam Vikas Upvidhi, Uttarakhand, 2011,"** prepared by the Housing Department, Government of Uttarakhand, as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in Chapter 6, Section 6.13 of these Heritage Bye-Laws shall apply in the regulated area of the Protected Monument.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey plan of Monument:

Survey Plan of "Group of Baleswar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleswar Temples, Champawat, District - Almora, Uttarakhand" may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

Protected Area is 890 square metres, approximately.

Prohibited Area is 44,394 square metres, approximately.
Regulated Area is 3,19,539 square metres, approximately.

5.2.2 Description of built-up area:

North: In the Prohibited Area, residential buildings are present to the North, North-East and North-West. In the Regulated Area, residential, commercial, and institutional buildings are present to the North-East and residences are located to the North-West.

East: In the Prohibited Area, residential buildings are present. In the Regulated Area, post office, Uttarakhand Transport Corporation (Uttarakhand Parivahan Nigam), residential, commercial and institutional buildings are present.

South: Dense residential and commercial buildings are located in the Southern direction. Residential, commercial buildings and hotels are present in the South-Eastern direction. Residential buildings are present in the South-West. The Regulated Area includes residential and commercial buildings, with Uttarakhand Tourist Centre, Kumaon Mandal Vikas Nigam Rest House, etc., present in the Southern direction. Punjab National Bank, State Bank of India and other commercial buildings are present in the South-West.

West: Residences are present in the Prohibited Area. In the Regulated Area, Residences, Rajbunga Fort (currently used as Tehsil office, Champawat) and Nagnath temple are present.

5.2.3 Description of green/open spaces:

North: In the Prohibited Area, few green spaces are present. In the Regulated Area, patches of dense green cover are present.

East: In the Prohibited Area, open cultivated land and green spaces are present. In the Regulated Area, some open spaces and cultivated land present along with buildings.

South: Few open green spaces are present in the Prohibited and Regulated Areas.

West: In the Prohibited Area, open spaces in residences are present. In the Regulated Area, Large land is covered with dense green cover is present.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

The Protected Monument is accessed via National Highway-9 (NH-9), approximately 500 metres to South-West. Roads across the Prohibited and Regulated Areas connect to NH-9. Steep internal areas are connected by paved streets for pedestrian movement in residential and local markets.

5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise):

North: The height of the structures/buildings ranges from G to G+3 structures.

East: The height of the structures/buildings ranges from G to G+2 structures.

South: The height of the structures/buildings ranges from G to G+3 structures.

West: The height of the structures/buildings ranges from G to G+4 structures.

5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

Historical buildings, including Rajbunga Fort (currently the Tehsil office, Champawat) and Nagnath Temple with traditional architecture, are present in the West of the Regulated Area.

5.2.7 Public amenities:

The public amenities including signages, toilets and drinking water facility are present.

5.2.8 Access to the Monument:

The Protected Monument can be accessed from NH-9 via a narrow-paved street leading to the upward slope. The surrounding road network is diverse, including routes extending from the West to the South and meandering towards the East. This network is linked to Laluwapani Road, further connecting to NH-9 in the South.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

The basic Infrastructure services such as street lights, water drainage, waste management, and signboards are present.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

There is no development plan prepared and made available in the public domain by any of the current Local Authorities. Therefore, at present, no zoning is proposed.

CHAPTER VI

Architectural, historical, and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical, and archaeological value:

Architectural Value:

The Baleswar Temple, constructed in the 14th century by the Chand rulers, showcases both Latina and Shikara styles. Its architectural sophistication is evident in the double mula-prasadas and mandapas, featuring Maru-Gurjara and North Indian Rekha Prasad elements. Intricate carvings, frieze arts, and charming motifs adorn both the outer and inner parts, reflecting the artistic finesse of the period. The Naula, a significant water sources, exemplifies ancient engineering skills, further adding to the temple's architectural allure.

Historical Value:

Extensive restoration efforts by rulers Udyan Chand, Vikrama Chand, and Raja Rudra Chand highlight the Baleswar Temple's enduring cultural significance. Udyan Chand began the restoration in 1420 C.E., Vikrama Chand continued it in 1423 C.E., and Raja Rudra Chand re-established the worship of Mahadeo at Baleswar in the late 16th century. These efforts emphasize the temple's importance as a cultural and religious centre throughout history.

Archaeological Value:

The layout of the Baleswar Temple complex, with its moderate heights and pyramid towers over the sanctum sanctorum, underscores its archaeological significance. The presence of Bhairav Temple and the Naula within the compound further enriches the site's historical and archaeological value. Positioned below ground level, the Naula collects water emerging from the ground, highlighting the advanced water management systems of the time. These elements collectively make the Baleswar Temple a vital link to the region's cultural heritage.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g., developmental pressure, urbanization, population pressure etc.):

The Protected Monument faces significant sensitivity issues due to its location in a densely populated area. Expanding residential settlements encroach upon the designated boundaries of this Protected Monument. Additionally, the demand for commercial development threatens the vernacular architecture within the Prohibited and Regulated Areas.

6.3 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

Visibility from the Protected Monument:

Although located at a higher altitude, the visibility from the Protected Monument is limited to residential development in the Prohibited Area to the North, West, and South. In the East, the living quarters of caretakers, a local temple and a cow shed is visible.

Visibility from all the direction of Prohibited and Regulated Area to the monument:

Visibility of the Protected Monument from the Regulated Area is limited due to commercial buildings' construction.

6.4 Land-use to be identified:

Most of the land in the Prohibited and Regulated Area is used for residential and commercial purposes. Additionally, public, institutional and religious structures such as schools, banks, offices of local governing bodies and temples are present.

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Monument:

No archaeological heritage remains are found as yet within the Prohibited and the Regulated Areas of the Protected Monument.

6.6 Cultural landscapes:

The Protected Monument which is older than Champawat itself, showcases a cultural landscape where historical, religious, and architectural elements blend seamlessly with the town's traditional and natural surroundings. This integration enriches Champawat's cultural tapestry, emphasizing the harmonious coexistence of human activity and the environment.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The agricultural land to the North acts as a natural buffer, improving visibility from the Protected Monument. The terrain and dense vegetation in the Prohibited and Regulated Area contribute to the natural setting and affect the microclimate, flora and fauna.

6.8 Usage of open space and constructions:

In the Prohibited and Regulated Areas, open spaces are used as green areas and agriculture. Constructions in these areas are used for residential and commercial purposes.

6.9 Traditional, historical, and cultural activities:

The Protected Monument attracts devotees from Champawat and nearby areas who offer prayers to Lord Shiva during Maha Shivratri and other festivals.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The Prohibited Area comprises of residential buildings, a few temples and green open spaces. The Regulated Areas to the South, East and West share a similar skyline with views of mountains and built structures, while the Northern part features dense greenery.

6.11 Traditional Architecture:

Traces of the traditional Koti Banal architecture can be seen in old residences and market shops. This early architectural style, prevalent in Uttarakhand, demonstrates a thorough understanding of native materials.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

There is no development plan prepared or made available in the public domain by any of the current Local Authorities.

6.13 Permissible building related parameters:

The Protected Monument namely - Group of Baleshwar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleshwar Temples, Champawat, District – Almora, Uttarakhand is located in close vicinity of another Protected Monument namely- The Kotwali Chabutra, Champawat. Hence, the Regulated Area of the Group of Baleshwar Temples and the land adjoining enclosed by stone walls and Naula or covered spring attached to the Baleshwar Temples, Champawat, Distric – Almora, Uttarakhand with the Regulated Area of the above-mentioned monument. The bye-laws of this Protected Monument should therefore be read in conjunction with one another. In the event of a site of construction falling in the Regulated Area of two separate monuments, the likely adverse impact on account of the proposed construction on the monument which is closer to the site of construction, shall be given precedence.

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the

Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

Since, no Land Use Plan/Master Plan/ Zoning Regulations have been prepared by the local authorities, these Heritage Bye-Laws shall prevail. All the development control norms and building regulations specified in the "Bhavan Nirman Evam Vikas Upvidhi, Uttarakhand, 2011" as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this Heritage Bye-Laws shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

Constructions that fall under specified exemptions would be permissible on the existing land use of the Regulated Area of the Protected Monument. These permissible constructions on orchards and agricultural land include constructions of structures for dwellings and ancillary building for the people engaged in the farm or structures for storage of crops, fodder, manure, agricultural tools and other similar facilities.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **12.00 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

   Construction of basement should be discouraged as far as feasible.

2. **Usage:**

   Since, no land use is specified for the area by the Local Authorities, present land use may be retained.

3. **Façade Design:**

   (i) The façade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument and the overall heritage character of the surrounding area. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.)

   (ii) Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within Regulated Area.

   (iii) Façades of all historic buildings, shop houses need to be maintained as per original design (series of brackets, chajjas, arched doors, windows etc.).

   (iv) Plumbing and electrical services shall be organized and not on the exterior of the building.

4. **Roof Design:**

   (i) The traditional sloped roof design may be followed with wooden frame and slate tiles.

   (ii) Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as Aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

   (iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cement sheets, louvres, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. **Building Material:**

   Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument may be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should not be permitted for exterior finishes. Traditional building materials such as timber and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the monument such as buff sandstone colour, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitors facilities and amenities:

Additional Visitor facilities may be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site specific Recommendations:

i. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

ii. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters will be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Boundary.

iii. Use of eco-friendly vehicles for movement in the vicinity of the Monument is recommended to mitigate adverse impact on the Protected Monument due to vehicular emissions.

iv. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting etc. isrecommended.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area may be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र को दर्शाने वाली सर्वेक्षण योजना

Survey plan showing Protected, Prohibited and Regulated Area of Group of Baleswar Temples and Naula or covered spring attached to the Baleswar temples, Champawat, District – Almora, Uttarakhand

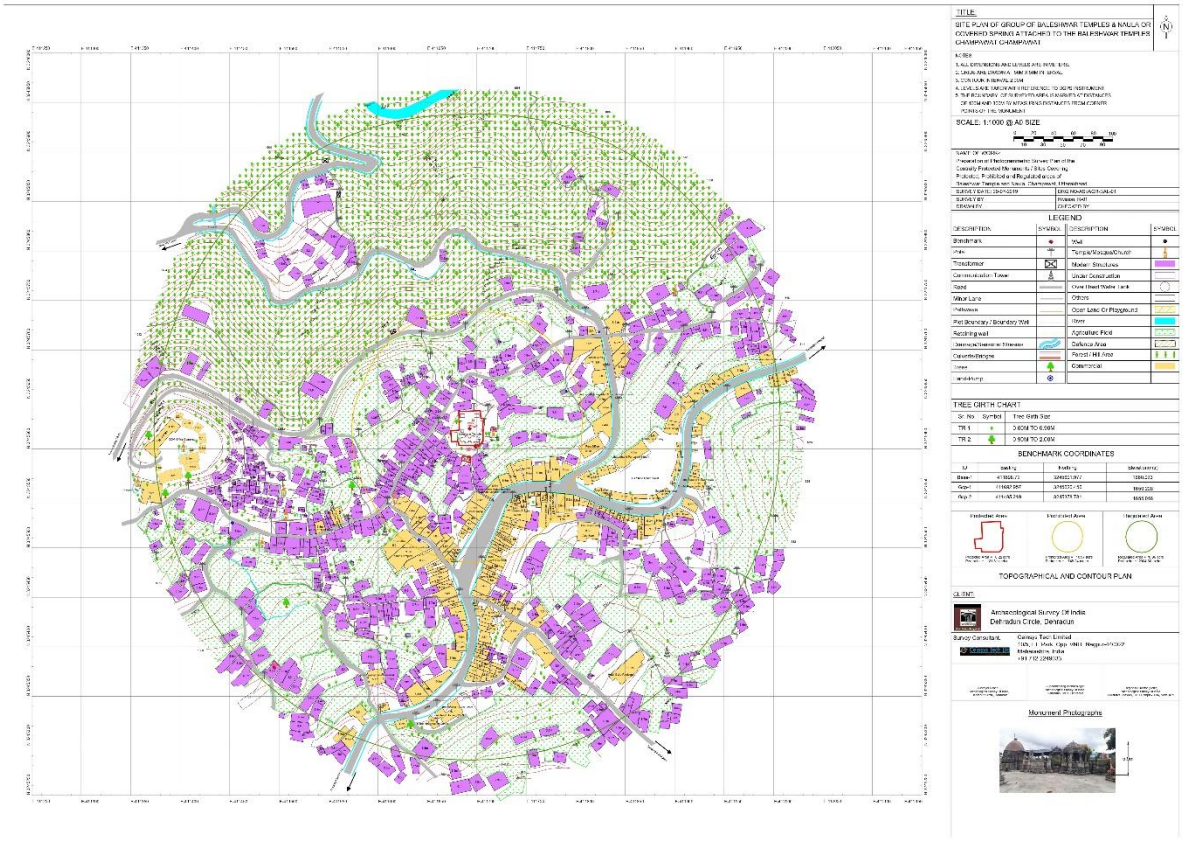

बालेश्वर मंदिर समूह तथा प्रस्तर चारदीवारी से घिरी समीपवर्ती भूमि एवं नौला अथवा बालेश्वर मंदिरों से सटा आच्छादित झरना, चंपावत, जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र को दर्शाने वाली सर्वेक्षण योजना

Survey plan showing Protected, Prohibited and Regulated Area of Group of Baleswar Temples and Naula or covered spring attached to the Baleswar temples, Champawat, District – Almora, Uttarakhand

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

मूल अधिसूचना
Original Notification

INDUSTRIES DEPARTMENT.

LEAVE.

The 21st July, 1916.

No. 1321/XVIII—37.—Staff Sergeant G. Holdsworth, late 2nd European Assistant, Thomason College, Rurki, was on furlough from the 4th April to the 3rd May, 1916, inclusive.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,
A. W. PIM.
Secretary to Government, United Provinces.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 22nd July, 1916.

No. 1267E/1B—355.—In supersession of this department notification nos. 877E/1B—355, and 1170E/1B—355, dated the 23rd May and 5th July, 1916, respectively, Mr. L. B. Spilsbury, Executive Engineer, Bareilly, is, under article 260 of the Civil Service Regulations, granted privilege leave for two months, with effect from the 12th June, 1916.

Dated Allahabad, the 22nd July, 1916.

No. 900M./367—36.—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of Act VII of 1904 (Ancient Monuments Preservation Act), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to propose to declare the following ancient monuments in the Almora district to be protected monuments and to direct that no one shall destroy, remove, alter, or deface, in any manner, or build on or near the site of these monuments without having first obtained permission from Government or its authorised officers.

2. Any objection to the above proposal received in writing by the Local Government within one month from the date of this notification will be taken into consideration.

No.	Name of monument.	Situated in—			Boundaries.
		Mauza.	Patti.	District.	
1	Kotwali Chabutra.	On unmeasured land of Champawat.	Talla Charal.	Almora ..	*North*—by the Champawat and Dhunaghat road and fields nos. 2389 and 2391. *South*—by the dâk bungalow compound. *East*—by the road to the dâk bungalow and fields nos. 145 and 146. *West*—by unmeasured land and fields nos. 419 and 420 of mauza Selakhola.
2	Group of Baleswar Temples and land adjoining enclosed by stone walls.	In nos. 3108, 3110-3119 and 3130-1 of mauza Champawat.	Ditto..	Ditto ..	*North*—by fields no. 3127. *South*—by field no. 3109 and Naula and footpath. *East*—by fields nos. 3106 and 3125 and 3126. *West*—by fields nos. 3129, 3127-8.
3	Naula or covered spring attached to Baleswar Temples.	On unmeasured land of Champawat.	Ditto..	Ditto ..	*North*—by field no. 2848. *South*—by „ „ 3105. *East*—by „ „ 3107. *West*—by „ „ 2857.

Dated Naini Tal, the 24th July, 1916.

No. 1279E/1B—414.—Mr. V. G. Hyde-Smith, Executive Engineer, on return from privilege leave, is appointed to the charge of the Meerut division, Provincial Works, with effect from the afternoon of the 17th July, 1916.

Dated Naini Tal, the 25th July, 1916.

No. 1290E/1B—572.—Mr. A. S. Knox, Assistant Sanitary Engineer, on return from privilege leave, resumed charge of his duties at Cawnpore on the forenoon of the 7th July, 1916.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,
W. G. WOOD,
Secretary to Government, United Provinces.

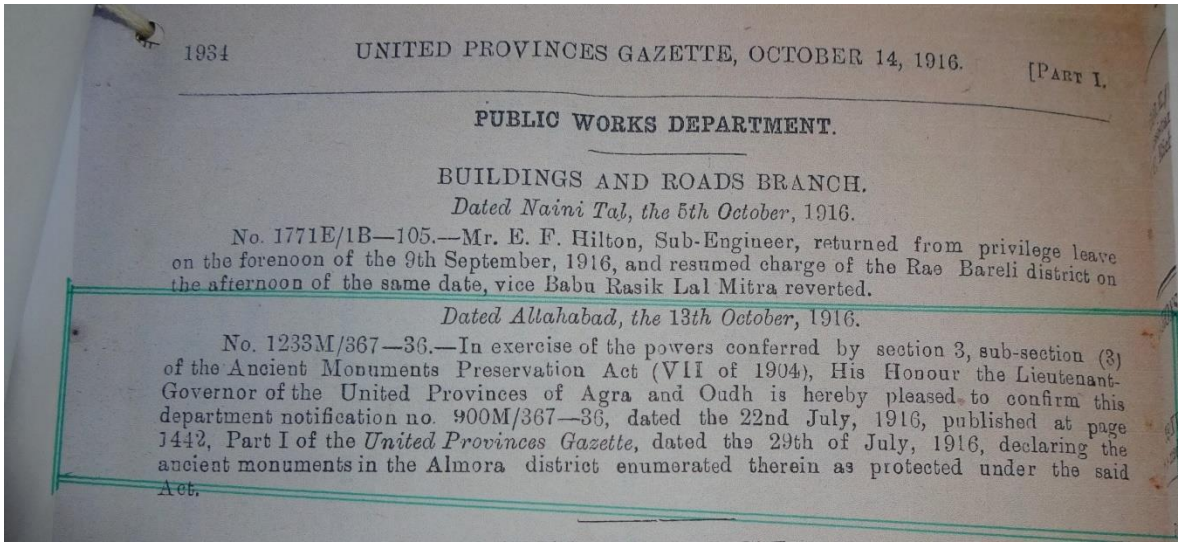

1934 UNITED PROVINCES GAZETTE, OCTOBER 14, 1916. [PART I.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 5th October, 1916.

No. 1771E/1B—105.—Mr. E. F. Hilton, Sub-Engineer, returned from privilege leave on the forenoon of the 9th September, 1916, and resumed charge of the Rae Bareli district on the afternoon of the same date, vice Babu Rasik Lal Mitra reverted.

Dated Allahabad, the 13th October, 1916.

No. 1233M/367—36.—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is hereby pleased to confirm this department notification no. 900M/367—36, dated the 22nd July, 1916, published at page 1442, Part I of the *United Provinces Gazette*, dated the 29th of July, 1916, declaring the ancient monuments in the Almora district enumerated therein as protected under the said Act.

मूलरूप की टंकित अधिसूचना

TYPED COPY OF ORIGINAL NOTIFICATION

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Allahabad, the 22nd July, 1916.

No. 900M/367-36. In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of Act VII of 1904 (Ancient Monuments Preservation Act), His Honour the Lieutenant Governor is hereby pleased to propose to declare the following ancient monuments in the Almora district to be protected monuments and to direct that no one shall destroy, remove, alter, or deface, in any manner, or build on or near the site of these monuments without having first obtained permission from Government or its authorised officers.

2. Any objection to the above proposal received in writing by the Local Government within one month from the date of this notification will be taken into consideration.

No.	Name of Monument	Situated in-			Boundaries.
		Mausa.	Patti.	District	
1	Kotwali Chabutra	On unmeasured land of Champawat	Talla Charal	Almora	North-by the Champawat and Dhunaghat road and fields nos.2389 and 2391. South-by the dak bungalow compound, East-by the road to the dak bungalow and fields nos 145

					and 146. West-by unmeasured land and fields nos, 419 and 420 of mauza Selakhola.
2	Group of Baleswar Temples and land adjoining enclosed by stone walls	In nos.3108, 3110-3119 and 3130-1 of mauza Champawat	Ditto.,	Ditto.	North- by fields no. 3127. South-by field no. 3109 and Naula and footpath. East-by fields no. 3106 and 3125 and 3126. West-by fields no. 312, 3127-8.
3	Nauls or covered spring attached to Baleswar Temples.	On unmeasured land of Champawat.	Ditto..	Ditto..	North-by field no. 2848. South-by field no. 3105. East- by field no. 3107. West-by field no. 2857.

By order of the Hon'ble the Lieut. Govr., United Provinces,
W. G. WOOD,
Secretary to Government, United Provinces.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Allahabad, the 13th October, 1916.

No. 1233M/367-36.-In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant Govenor of the United Provinces of Agra and Oudh is hereby pleased to confirm this department notification no. 900M/367-36, dated the 22nd July, 1916, published at page 1442, Part I of the *United Provinces Gazatte*, dated the 29th of July, 1916 declaring the ancient monuments in the Almora district enumerated therein as protected under the said Act.

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

संरक्षित संस्मारक की मौजूदा संरक्षित सीमा को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र
Archival Map showing existing Protected Boundary of the Protected Monument

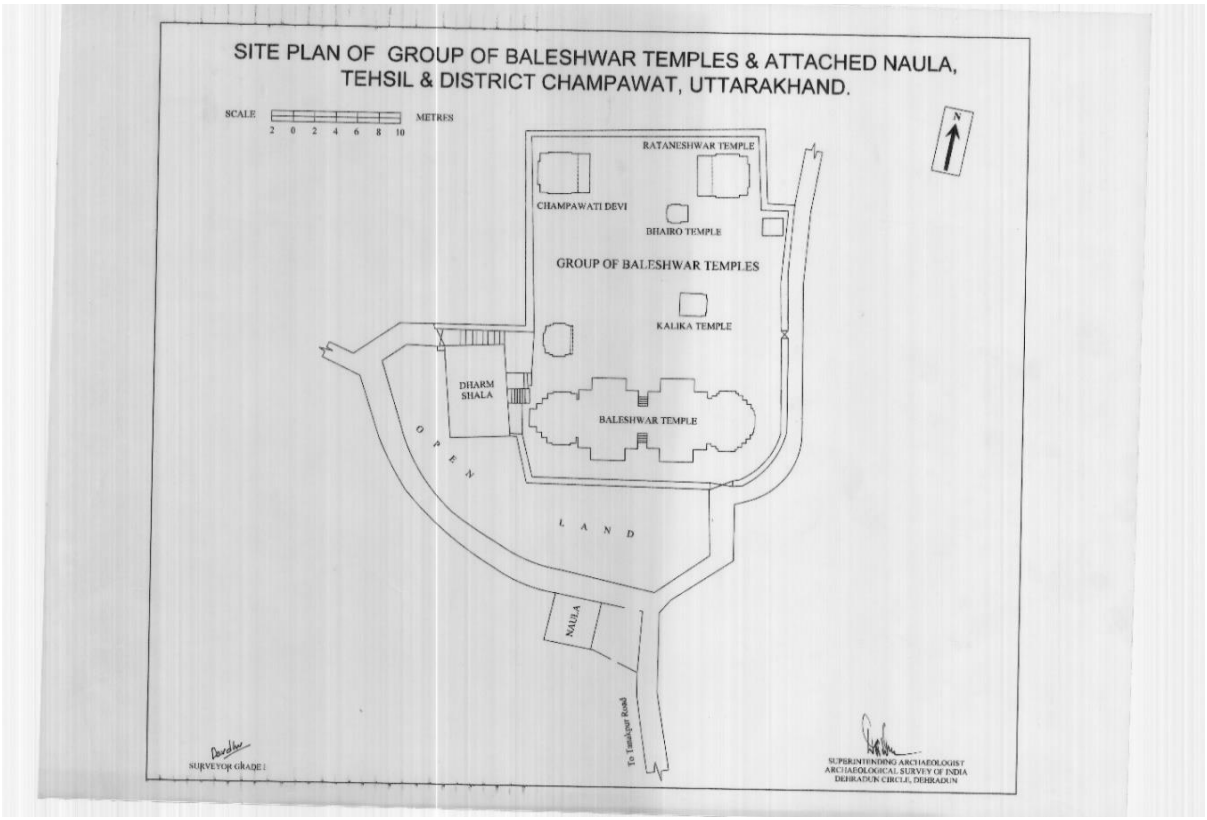

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के चित्र
Images of The Protected Monument and its surroundings

चित्र 1 और 2: उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा के दृश्य के साथ बालेश्वर मंदिरों का समूह
Images 1 and 2: The Group of Baleswar Temples with a view of North, East and South direction

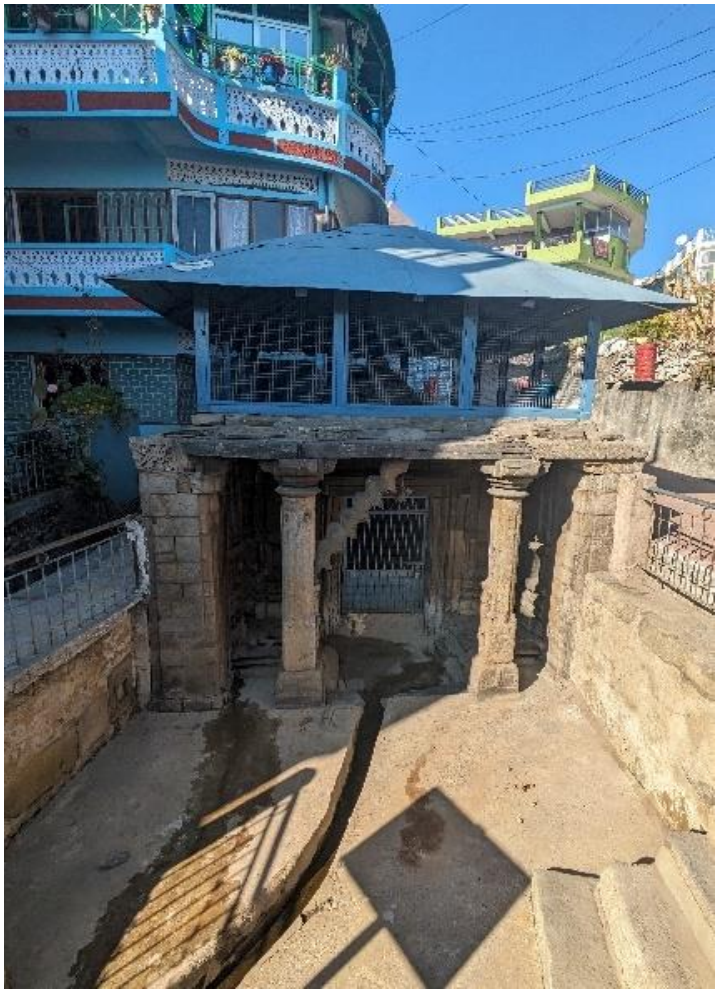

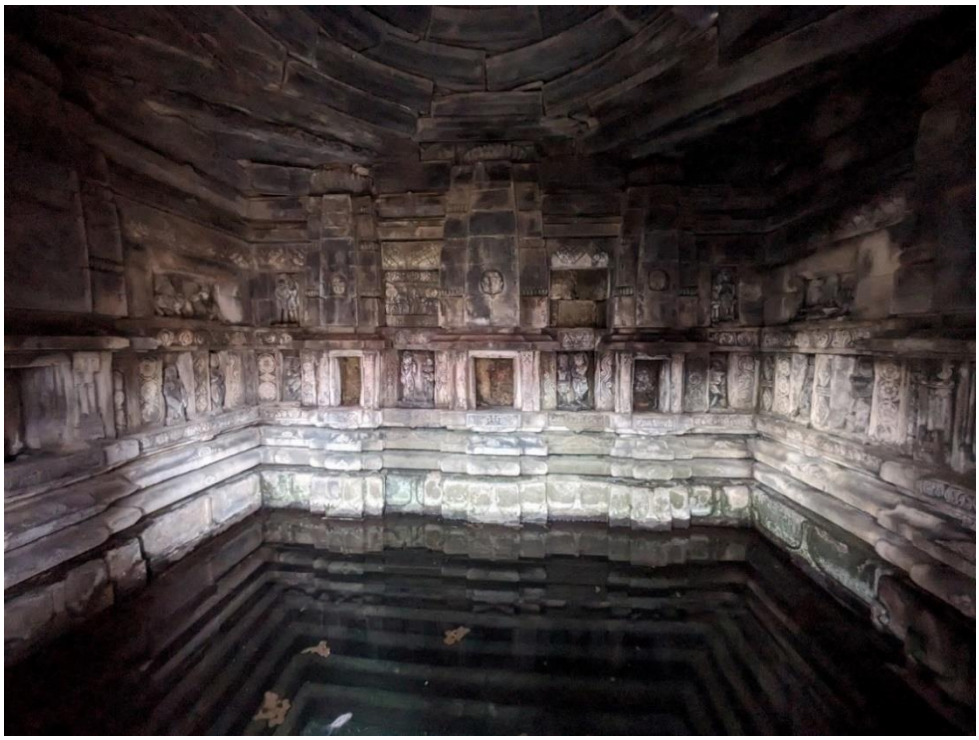

चित्र 3 और 4: नौला अथवा आच्छादित झरने का बाहरी और आंतरिक अग्रभाग
Images 3 and 4: The External and internal façade of Naula or covered spring

चित्र 5: पश्चिम और उत्तर दिशा में आवासीय विकास
Image 5: The residential development in West and North direction

चित्र 6: पूर्व और दक्षिण दिशा में खुला क्षेत्र और विकास
Image 6: The open area and development in East and South direction

चित्र 7 और 8: पूर्व और दक्षिण दिशा में वाणिज्यिक विकास और संस्थागत भवन
Images 7 and 8: The commercial development and institutional building in East and South direction

चित्र 9 और 10: उत्तर और पश्चिम दिशा में कृषि खुले क्षेत्र और चहल-पहल वाली सड़क
Images 9 and 10: The agricultural open area and bustling street in North and West direction

चित्र 11 और 12: लकड़ी और पत्थर में पारंपरिक कुमाऊँनी वास्तुकला (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र)
Images 11 and 12: The traditional Kumauni architecture in timber and stone (Prohibited and Regulated Area)

चित्र 13: ऐतिहासिक नागनाथ मंदिर और किले की दीवारें (विनियमित क्षेत्र)
Image 13: The historic Nagnath temple and fort walls (Regulated Area)

चित्र 14: प्रतिषिद्ध क्षेत्र से संरक्षित संस्मारक की दृश्यता
Image 14: The visibility of Protected Monument from Prohibited Area